

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 324]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 10 अगस्त 2021—श्रावण 19, शक 1943

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 10 अगस्त 2021

क्र. 12502-मप्रविस-15-विधान-2021.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 59 के अधीन अध्यक्ष महोदय ने मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक 4) विधेयक, 2021 (क्रमांक 28 सन् 2021) को उससे संबद्ध उद्देश्यों एवं कारणों के विवरण सहित मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित करने का आदेश दिया है. तदनुसार यह विधेयक तथा उद्देश्यों और कारणों का विवरण जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

ए. पी. सिंह  
प्रमुख सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा.

## मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २८ सन् २०२१

## मध्यप्रदेश विनियोग ( क्रमांक-४ ) विधेयक, २०२१

वित्तीय वर्ष २०२१-२०२२ की सेवाओं के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय तथा विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक.

भारत गणराज्य के बहतरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-४) अधिनियम, २०२१ है.

वित्तीयवर्ष २०२१-२०२२ के लिये राज्य की संचित निधि में से रुपये ४५,८७,५८,६९,५९८ का दिया जाना.

२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम (३) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग रुपये चार हजार पांच सौ सतासी करोड़ अठ्ठावन लाख उनहत्तर हजार पांच सौ अठानवे होता है, उन विभिन्न प्रभागों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के कॉलम (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों की बाबत वित्तीय वर्ष २०२१-२०२२ के दौरान दिये जाने होंगे, दी और उपयोजित की जा सकेंगी.

विनियोग.

३. इस अधिनियम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

## अनुसूची

( धारा २ और ३ देखिये )

( आंकड़े रुपयों में )

(१) अनुदान का संख्यांक	(२) सेवायें और प्रयोजन	(३) निम्नलिखित से अनधिक राशियां			
		विधान सभा द्वारा मतदत्त रुपये	संचित निधि पर भारित रुपये	योग रुपये	
००१.	सामान्य प्रशासन	राजस्व	४००	३३,६०,००,०००	३३,६०,००,४००
००३.	पुलिस	राजस्व	१,००,०६,१००	०	१,००,०६,१००
		पूंजी	४००	०	४००
००५.	जेल	राजस्व	१००	०	१००
००७.	वाणिज्यिक कर	राजस्व	१००	०	१००

(१)	(२)	(३)			
		रुपये	रुपये	रुपये	
००८.	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	राजस्व	२,२५,०००	०	२,२५,०००
०१०.	वन	राजस्व	२६,५५,१७,६९८	०	२६,५५,१७,६९८
		पूंजी	६००	०	६००
०१३.	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	राजस्व	४७,३४,१८,२००	०	४७,३४,१८,२००
०१४.	पशुपालन एवं डेयरी	राजस्व	१४,०४,०९,१००	०	१४,०४,०९,१००
		पूंजी	१००	०	१००
०१६.	मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास	राजस्व	१,२००	०	१,२००
०१७.	सहकारिता	राजस्व	३००	०	३००
०१८.	श्रम	राजस्व	२,५०,००,००,०००	०	२,५०,००,००,०००
०१९.	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राजस्व	१५,६६,०५,०१,६००	०	१५,६६,०५,०१,६००
		पूंजी	९,५६,००,५००	०	९,५६,००,५००
०२०.	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	पूंजी	१,५००	०	१,५००
०२१.	लोक सेवा प्रबंधन	राजस्व	१००	०	१००
०२२.	नगरीय विकास एवं आवास	राजस्व	२,५२,९६,७००	०	२,५२,९६,७००
		पूंजी	१,५०,००,००,४००	०	१,५०,००,००,४००

(१)	(२)	(३)		
		रुपये	रुपये	रुपये
०२३	जल संसाधन			
	राजस्व	४,३००	१००	४,४००
	पूंजी	६००	०	६००
०२४	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल			
	पूंजी	६००	०	६००
०२५	खनिज साधन			
	राजस्व	०	८८,४३,६३,०००	८८,४३,६३,०००
०२६	संस्कृति			
	राजस्व	१००	०	१००
	पूंजी	२००	०	२००
०२७	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)			
	राजस्व	१,६००	०	१,६००
	पूंजी	१,२००	०	१,२००
०२९	विधि और विधायी कार्य			
	राजस्व	६,८००	०	६,८००
	पूंजी	२००	०	२००
०३०	ग्रामीण विकास			
	राजस्व	२०,१४,८६,०२,२००	०	२०,१४,८६,०२,२००
	पूंजी	७००	०	७००
०३३	जनजातीय कार्य			
	राजस्व	३८,००,००,३००	०	३८,००,००,३००
	पूंजी	१००	०	१००
०३४	सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण			
	राजस्व	३,९००	०	३,९००
०३५	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम			
	राजस्व	०	१०,२६,२००	१०,२६,२००
०३६	परिवहन			
	राजस्व	२,१९,२०,०००	०	२,१९,२०,०००
	पूंजी	२,००,००,०००	०	२,००,००,०००

(१)	(२)	(३)			
		रुपये	रुपये	रुपये	
०३७	पर्यटन	राजस्व	१००	०	१००
०३८	आयुष	राजस्व	६००	०	६००
०३९	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण.	राजस्व	२,०००	०	२,०००
		पूंजी	१००	०	१००
०४०	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर).	राजस्व	१००	०	१००
०४२	भोपाल गैस त्रासदी राहत तथा पुनर्वास.	राजस्व	१,००,००,०००	०	१,००,००,०००
		पूंजी	१००	०	१००
०४३.	खेल और युवा कल्याण	पूंजी	५,२५,३१,२००	०	५,२५,३१,२००
०४४.	उच्च शिक्षा	राजस्व	३००	०	३००
		पूंजी	९००	०	९००
०४६.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	राजस्व	१००	०	१००
०४७.	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार.	राजस्व	७,८६,००,८००	०	७,८६,००,८००
		पूंजी	४००	०	४००
०४८.	नर्मदा घाटी विकास	पूंजी	१,९००	०	१,९००
०४९.	अनुसूचित जाति कल्याण	राजस्व	३,३००	०	३,३००
		पूंजी	२००	०	२००

(१)	(२)	(३)	
		रुपये	रुपये
०५०.	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण		
	राजस्व	९७,२७,४०,७००	०
	पूंजी	२००	०
०५२.	चिकित्सा शिक्षा		
	राजस्व	७,३५,८३,४००	०
	पूंजी	२,८००	०
०५३.	लोक निर्माण कार्य- भवन		
	राजस्व	३३,००,००,०००	०
	पूंजी	१८,९६,००,३००	०
०५५.	महिला एवं बाल विकास		
	राजस्व	३,७८,७०,०००	०
	पूंजी	५००	०
०५६.	कुटीर एवं ग्रामोद्योग		
	राजस्व	३,६९,१७,१००	०
०५७.	पर्यावरण		
	राजस्व	३००	०
०६०.	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय		
	राजस्व	५०,००,००,०००	०
०६१.	बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय		
	राजस्व	४,३७,९००	०
	पूंजी	१,९१,००,२००	०
०६२.	पंचायत		
	राजस्व	४००	०
०६३.	अल्प संख्यक कल्याण		
	राजस्व	१००	०
	पूंजी	१,०१,१५,६१,२००	०
०६४.	पिछड़ा वर्ग कल्याण		
	पूंजी	२००	०

(१)	(२)	(३)	
		रुपये	रुपये
०६५. विमानन	राजस्व	१०,००,००,०००	०
			१०,००,००,०००
योग :	{ राजस्व :	४१,७६,६०,७२,९९८	१,२२,१३,८९,३००
	{ पूंजी :	२,८८,८४,०७,३००	०
	वृहद-योग :	४४,६५,४४,८०,२९८	१,२२,१३,८९,३००
			४५,८७,५८,६९,५९८

### उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद २०५ के साथ पठित अनुच्छेद २०४(१) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से उस धन के विनियोग का उपबंध करने हेतु पुरःस्थापित किया जा रहा है, जो वित्तीय वर्ष २०२१-२०२२ के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि पर भारित अनुपूरक व्यय और मध्यप्रदेश सरकार के व्यय के लिए विधान सभा द्वारा किए गए अनुदानों की पूर्ति करने के लिए अपेक्षित है।

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

भोपाल :  
तारीख ९ अगस्त, २०२१

जगदीश देवड़ा  
भारसाधक सदस्य.

“संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशासित.”

ए. पी. सिंह  
प्रमुख सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा.